स्कूल वैन चालकों की हड़ताल से बच्चे हुए परेशान

सरकार नहीं मानी तो बढ़ेगी स्ट्राइक

नई दिल्ली। दिल्ली में सोमवार को हुई स्कूल कैब चालकों की हड़ताल में लगभग 35 हजार वाहनों के पहिए रुकने से लाखों बच्चों को विद्यालय पहुंचने में भारी परेशानी उठानी पड़ी। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों को समय निकालना पड़ा, जिससे उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा। परिवहन विभाग की ओर से चलाए जा रहे जांच अभियान के खिलाफ सोमवार को स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन के आह्वान पर सफल हड़ताल हुई। संगठन ने दिल्ली के कुछ इलाकों में प्रदर्शन भी किया। इस बारे में संगठन के अध्यक्ष रामचंद्र का कहना है कि गत पांच साल से स्पीड गवर्नेंस से जुड़े नियमों के चलते परिवहन विभाग ने व्यावसायिक श्रेणी में स्कूल कैब में किसी वाहन की खरीद ही नहीं होने दी। ऐसे में चालकों के सामने भूखों मरने की नौबत आई और मजबूरी चालकों ने निजी कैब को परिचालन में इस्तेमाल करना शुरू किया।

खजूरी में व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या

कुछ लड़के चाकुओं से हमला करते हुए सीसीटीवी में हुए कैद

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

पूर्वोत्तर दिल्ली के खजूरी खास में 22 वर्ष के एक व्यक्ति की कुछ लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान बिहार के पूर्णिया निवासी अनवारुल हक के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि हक बिहारीपुर स्थित एक कारखाने में काम करता था, जहां स्कूल बैग बनाये जाते हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 31 जुलाई

को खजूरी खास पुलिस थाने में एक पीसीआर कॉल आयी थी कि एक व्यक्ति को कुछ लड़कों ने चाकू मार दिया है। पुलिस का एक दल तत्काल मौके पर

- मृतक बिहार के पूर्णिया जिले का था रहने वाला

पहुंचा, लेकिन तब तक लोगों ने घायल व्यक्ति को एक अस्पताल पहुंचा दिया था। उन्होंने बताया कि हालांकि, उस व्यक्ति को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 के तहत एक मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान टीम ने मौके पर लगे कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। अधिकारी ने कहा कि एक फुटेज में कुछ लड़के हक पर चाकुओं से हमला करते और मौके से भागते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि टीम ने संदिग्धों की पहचान कर ली है और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।

खबर संक्षेप

चाइनीज मांझा सप्लायरों पर 18 केस दर्ज

नई दिल्ली। लोगों की जान लेने वाले प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मांजे के सप्लायरों व विक्रेताओं के खिलाफ 18 केस दर्ज किये हैं। इसके साथ ही 182 रॉल्स भी जब्त किये गये हैं। डीसीपी घनश्याम बंसल ने बताया कि ख्याला थाने में सात, इंद्रपुरी में तीन, कीर्ति नगर में तीन, तिलक नगर में दो, विकासपुरी, हरिनगर और पंजाबी बाग थानों में एक-एक केस दर्ज किया गया है। पुलिस का मांजे के खिलाफ यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। इससे पहले सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट पुलिस ने चाइनीज मांजा विक्रेताओं पर कार्रवाई की है। बाहरी जिले में भी कई केस दर्ज हो चुके हैं।

मंदिरों का निशाना बनाने वाला चोर गिरफ्तार

नई दिल्ली। कभी दानपात्र से कैश तो कभी भगवान की मूर्तियों से गहनें चोरी करने वाले एक शातिर चोर को उत्तम नगर पुलिस ने अरेस्ट किया है। मटियाला एक्सटेंशन के रहने वाले इस आरोपी का नाम रामचंद्र उर्फ राम है। इसके पास से दानपात्र, शेषनाग की मूर्ति, लोटा, एक हजार कैश और एक रिक्शा बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार 27 जुलाई को उत्तम नगर पुलिस को श्री वैष्णो माता मंदिर में चोरी की शिकायत मिली थी। आसपास के सीसीटीवी फूटेज की जांच कर चोर के बारे में सुराग तलाशने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा। पूछताछ में इसने अपना जुर्म कबूल करते हुये चोरी किया सामान भी पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि वह इससे पहले भी मंदिर में चोरी कर चुका है। पुलिस ने इस गिरफ्तारी के बाद चोरी के दो मामलों का सुलझा लिया है।

दिल्ली के अलावा गुजरात, मुंबई और पुणे में कर चुका था कई वारदात

एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गैंग का सक्रिय मेवाती बदमाश अरेस्ट

मेवाती गैंग के एक शातिर ठग को द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से हथियार के साथ 15 एटीएम कार्ड और बाइक भी जब्त की गई हैं। आरोपी का नाम समीन बताया गया है। यह हरियाणा के नूंह जिले का रहने वाला है। यह एरिया मेवात के नाम से भी प्रसिद्ध है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के बाद एटीएम के भीतर व बाहर ठगी के 20 मामलों का खुलासा किया है।

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

डीसीपी द्वारका एम. हर्षवर्धन के अनुसार समीन के निशाने पर वे लोग रहते थे जिन्हें एटीएम कार्ड व उसके इस्तेमाल की कम जानकारी होती थी। इसी का फायदा उठाकर वह लोगों को बेवकूफ बनाकर एटीएम के अंदर और एटीएम के बाहर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। इसके कई साथी भी इसी प्रकार से ठगी को अंजाम देते है। आरोपी एटीएम में मदद के बहाने लोगों का कार्ड बदल देते थे। फिर चुपके से उनके एटीएम पिन को भी देख लेते थे। एक साथ कई वारदात को अंजाम देकर यह गिरोह वापस मेवात भाग जाता था। नजफगढ़, उत्तम नगर, मोहन गार्डन और बिंदापुर थाना इलाकों में इन्होंने ऐसी ही कई वारदातों को अंजाम दिया था। हाल ही में स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व वाली सब इंस्पेक्टर जयवीर सिंह, सहायक सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार, करतार सिंह, सतपाल, हेड

- नजफगढ़, मोहन गार्डन, बिंदापुर, उत्तम नगर के 20 ठगी के मामले खुले

कांस्टेबल अजय और राजकुमार की टीम ने वारदात वाली जगहों पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी। इसके साथ ही लोकल इंटेलिजेंस व टेक्निकल सर्विलांस की भी मदद ली गई। इसके बाद मेवाती गैंग के बारे में जानकारी इकट्ठा हुई।

जनवरी में जेल से आया था बाहर

पूछताछ में इसने पुलिस को बताया कि वह इसी साल जनवरी महीने में तिहाड़ जेल से बाहर आया था। वह दिल्ली के अलावा गुजरात, मुंबई और पुणे में भी अपने साथियों के साथ मिलकर इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसकी गिरफ्तारी से फिलहाल पुलिस 20 मामलों को सुलझाने का दावा कर रही है।

हाल ही में पता चला कि गिरोह का एक बदमाश द्वारका सेक्टर 17 इलाके में पहुंचेगा। पुलिस ने एक ट्रेप लगाकर मोटर साइकिल से आये बदमाश को दबोच लिया। जांच में पता चला कि बाइक रोहिणी जिले के के एन काटजू मार्ग थाना इलाके से चुराई गई थी। तलाशी में इसके पास से 15 एटीएम कार्ड बरामद हुये। इसके साथ एक देशी कट्टा और दो कारतूस भी मिलें।

जोर बाग में कार लूट का केस खुला, दो गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

- छह मोबाइल फोन बरामद, छह केस सुलझे

दक्षिण जिले के जोरबाग इलाके में चालक को नीचे धक्का देकर कार लूटने वाले दो बदमाशों को स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। इनके नाम सुल्तानपुरी निवासी 36 वर्षीय विजय कुमार और जनकपुरी निवासी 34 वर्षीय बीरबल है। आरोपियों के पास से चोरी के छह मोबाइल फोन भी बरामद हुये हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लूटपाट व चोरी के आधा दर्जन मामले सुलझाने का दावा किया है।

एडिशनल डीसीपी पवन कुमार के अनुसार दो जुलाई को मौसम भवन के पास जोरबाग रोड पर एक कार चालक लघुशंका के बाद वापस लौटा तो और कार में सवार होने लगा। इसी बीच दो अज्ञात लोगों ने चालक को जबरदस्ती कार से बाहर खींचकर धक्का दे दिया। इसके बाद उसकी कार, मोबाइल फोन और कुछ अन्य सामान लूट कर फरार हो गये। पीड़ित चालक की शिकायत पर आईपीसी की धारा 392/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी के नेतृत्व में बनी टीम ने कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसी से दो संदिग्ध दिखाई दिये। उनकी पहचन सुनिश्चित कर शंकर मार्केट, कनॉट प्लेस से दोनों को अरेस्ट कर लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से 6 मोबाइल फोन बरामद हुये। जांच में पता चला कि विजय 11 जबकि बीरबल 6 मामलों में शामिल रहा है।

आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर संभाला कार्यभार

नई दिल्ली। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय अरोड़ा ने सोमवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाला। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अरोड़ा का जय सिंह मार्ग स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया।

जेएनयू के छात्रों ने तत्काल छात्रावास आवंटन की मांग पर किया प्रदर्शन

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों ने छात्रावास का तत्काल आवंटन करने और उसकी मरम्मत की मांग करते हुए सोमवार को 'डीन ऑफ स्टूडेंट्स' (डीओएस) के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन 'डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन' (डीएसएफ) नाम के एक छात्र संगठन ने किया। उन्होंने यह भी मांग की कि छात्रावास चुनाव जल्द ही कराए जाए, जो कि पिछले दो साल से नहीं हुए हैं। छात्रों ने 'डीओएस जवाब दो', 'सभी को छात्रावास दो' 'छात्रावास आवंटन में आरक्षण नीतियों में दखल देना बंद करो' की तख्तियां ली हुई थीं। डीएसएफ अध्यक्ष स्वाति सिंह ने कहा कि हमने तत्काल छात्रावास आवंटन की मांग करते हुए डीओएस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रत्यक्ष रूप से कक्षाएं तीन अगस्त से शुरू हो रही हैं, लेकिन कई छात्रों को अब तक छात्रावास आवंटित नहीं किए गए हैं। पूरी तरह अराजकता की स्थिति है। साथ ही अभी तक छात्रावास के आवंटन में आरक्षण नीतियों का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रावास खस्ताहाल हैं और यहां दीवार या छत गिरने की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। सिंह ने कहा कि हमने मांग की है कि छात्रावास की जल्द से जल्द मरम्मत करायी जाए।

डीसीडब्ल्यू ने सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी को लेकर स्वास्थ्य विभाग को जारी किया नोटिस

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की कमी पर सोमवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में डीसीडब्ल्यू ने विभाग द्वारा गठित कमेटी के साथ ही कमेटी की अब तक हुई बैठकों की जानकारी मांगी है। आयोग ने समिति द्वारा दी गई किसी रिपोर्ट/सिफारिश और उस पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। डीसीडब्ल्यू

अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि डीसीडब्ल्यू नियमित रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ बातचीत करता है जिससे दिल्ली में समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। अस्पतालों में सरकार द्वारा प्रायोजित सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएस) की कमी समुदाय की प्रमुख समस्याओं में से एक है। इस संबंध में डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी कर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के प्रावधान की जानकारी मांगी थी। उसके बाद विभाग ने आयोग को बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एसआरएस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके बाद डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को सरकारी अस्पतालों में सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की सुविधा शुरू करने की सिफारिश की थी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रणबीर सिंह ने लोगों से की अपील

मतदाता पहचान पत्र को आधार से करें लिंक

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), दिल्ली, डॉ. रणबीर सिंह ने सोमवार को दिल्ली के सभी नागरिकों से मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से जोड़ने की अपील की। कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना और मतदाता सूची में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण करना है। एक मतदाता अपना आधार नंबर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में सूचीबद्ध है, अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (5) के अनुसार फॉर्म 6बी में पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित कर सकता है। यह जानकारी दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रणबीर सिंह ने दी।

राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को दी जानकारी

सीईओ डॉ. रणबीर सिंह ने सोमवार को मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के

प्रतिनिधियों को कानून में संशोधन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़ने के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता फैलाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। सीईओ ने यह भी बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों को संशोधित कानून के तहत नए आवेदन फॉर्म और 4 त्रैमासिक योग्यता तिथियों के बारे में भी सूचित किया।

लक्ष्य के साथ कार्यक्रम 1 अप्रैल 2023 तक पूरा किया जाएगा

सीईओ डॉ. सिंह ने बताया कि नए मतदाता जिन्होंने अपने मतदाता पहचान पत्र के लिए नामांकन नहीं किया है, वे अपने आधार कार्ड के साथ नामांकन कर सकते हैं साथ ही मौजूदा मतदाता जो पहले से ही मतदान सूची में नामांकित हैं, वे भी स्वेच्छा से अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ अपना आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। फॉर्म 6बी में आधार संख्या एकत्र करने के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत 100 प्रतिशत मतदाताओं से संपर्क करने के लक्ष्य के साथ कार्यक्रम 1 अप्रैल 2023 तक पूरा किया जाएगा।

दो तरीकों से जमा कर सकते हैं आधार नंबर

डॉ. रणबीर सिंह ने कहा कि एक मतदाता अपना आधार नंबर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा कर सकता है। ऑनलाइन सबमिशन के लिए, मतदाता स्वयं-प्रमाणीकरण (आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके) के माध्यम से एनवीएसपी और वीएचए जैसे मतदाता-सामना करने वाले ऐप/पोर्टल पर फॉर्म 6बी भर सकता है या आवश्यक के साथ स्व-प्रमाणीकरण के बिना फॉर्म 6बी जमा कर सकता है।

आधार नंबर का संग्रह स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है

डॉ. रणबीर सिंह ने आगे बताया कि मतदाताओं से आधार नंबर का संग्रह स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम रोल में सूचीबद्ध है, अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (5) के अनुसार फॉर्म 6बी में पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित कर सकता है। मौजूदा मतदाताओं के आधार नंबर के संग्रह का कार्यक्रम 1 अगस्त, 2022 से शुरू किया आधार को ऑनलाइन भरने के लिए फॉर्म 6बी ईसीआई/सीईओ वेबसाइट और इरोनेट, गरुड़, एनवीएसपी, वीएचए आदि पर उपलब्ध होगा। डीईओ/ईआरओ बीएलओ, ईआरओ या अधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन जमा करने के लिए मुद्रित फॉर्म 6बी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
CIN: L65999DL1985PLC019846
पंजीकृत कार्यालय : ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट्स, 25, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज नई दिल्ली-110092
E-Mail: info@sidhmanagement.in; Website: www.sidhmanagement.in
30 जून 2022 को समाप्त प्रथम तिमाही हेतु अअंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार
[सेबी (एलओडीआर) नियमनों, 2015 के नियमन 47(1)(बी) देखें]
(रु. लाखों में एफवी और ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	अअंकेक्षित 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही	अंकेक्षित 31 मार्च 2022 को समाप्त पूर्ववर्ती तिमाही (टिप्पणी सं. 2 देखें)	अअंकेक्षित 30 जून 2021 को समाप्त अनुकूल तिमाही	अंकेक्षित 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
1	प्रचालनों से कुल आय	(1.88)	(31.31)	31.39	30.01
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	(5.25)	(33.72)	28.41	17.74
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(5.25)	(33.72)	28.41	5.76
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(5.25)	(33.72)	28.41	4.57
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(5.25)	(33.72)	28.41	4.57
6	इक्विटी शेयर कैपिटल	211.75	211.75	211.75	211.75
7	रिजर्व्स (पूर्ववर्ती वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	301.23
8	अर्जन प्रति शेयर (रु. 10 प्रत्येक के) (समाप्त वर्ष को छोड़कर वार्षिकृत नहीं) बेसिक एवं डायल्युटेड	(0.25)	(1.59)	1.34	0.22

टिप्पणी : 1) उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज के पास दायर किये गये तैमाहिक अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार हैं। अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स यथा www.msei.in पर उपलब्ध हैं। ये कम्पनी की वेबसाइट यथा www.sidhmanagement.in पर भी उपलब्ध हैं। 2) 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही हेतु आंकड़े वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय तिमाही तक वर्ष से तिथि आंकड़े और 31 मार्च, 2022 को समाप्त पूर्ण वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अंकेक्षित आंकड़ों के बीच बैलेंसिंग आंकड़े है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता/-
दिनेश शर्मा
पूर्ण-कालिक निदेशक
डीआईएन : 07526355

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 01 अगस्त, 2022